संख्या-32/2020/1418/71-4-2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे ,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1 कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

2 निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

3 निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं चिकित्सालय,
लखनऊ

4 निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय
एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 01 अक्टूबर, 2020

विषय:- राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं तथा आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज से सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को आचार्य के पद पर संविदा के आधार पर प्रदेश में नवस्थापित चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में पुनर्योजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान नोएडा, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा तथा उच्चस्तरीय कैंसर संस्थान एवं चिकित्सालय, लखनऊ में आचार्य के रिक्त नियमित पदों के सापेक्ष अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों/ चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा आर्म्ड फोर्सेज सर्विसेज से सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों में से ऐसे आचार्य (प्रोफेसर), जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए है, को आचार्य (प्रोफेसर)(कन्सलटेन्ट) के रूप में संलग्नक (जिसका हिन्दी रूपान्तरण बाद में प्रेषित किया जायेगा) में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रोफेसर (कन्सलटेन्ट) के रूप में पुनर्योजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- संविदा के आधार पर पुनयोर्जित आचार्य (प्रोफेसर) (कन्सलटेन्ट) को एकमुश्त रू0 2,20,000/- का मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जायेगा।

3- उपर्युक्त आचार्य (प्रोफेसर) (कन्सलटेन्ट) को विज्ञापन प्रकाशित कर पारदर्शी रीति से सीधी भर्ती द्वारा संबंधित चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय के निदेशक/कुलपति की अध्यक्षता में चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा पुनर्नियोजित किया जायेगा।

4- सेवानिवृत्त आचार्य (प्रोफेसर) (कन्सलटेन्ट) को संविदा के आधार पर आचार्य (प्रोफेसर) (कन्सलटेन्ट) के रूप में पुनर्नियोजित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-119/2018/2842/71-2-2018-33/2018, दिनांक 20.09.2018 में व्यवस्था प्रचलित रहेंगीं।

5- प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियमित चयन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।

6- कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-32/2020/ 1418 (1)/71-4-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, लखनऊ/ इटावा/ गौतमबुद्ध नगर।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
9. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1,2 एवं 3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।